समाहरणालय, गोड्डा।

(जिला समाज कल्याण शाखा)

E-Mail Id- dswogodda.jh@gmail.com, dswo-godda@jharkhandmail.gov.in

—: आम सूचना :—

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखण्ड सरकार, राँची के विभागीय संकल्प संख्या—1406, दिनांक—01.07.2024 के द्वारा राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना **"झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना"** का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत 21 वर्ष से 50 वर्ष योग्य महिला लाभुकों को रूपये 1000/— प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता राशि सीधे लाभुक के बैंक खाता में PFMS के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। इस हेतु जिले के सभी पंचायत एवं वार्ड स्तर पर दिनांक—03.08.2024 से 10.08.2024 तक आवेदन प्राप्ति एवं ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन हेतु शिविर का आयोजन किया गया है। लाभूक वर्ग की महिलाओं से अपील है कि शिविर में उपस्थित होकर योजना का लाभ उठावें।

आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से आवेदन प्रपत्र निःशुल्क वितरण कराया गया है। आवेदन प्राप्ति से लेकर आवेदन ऑनलाईन कराने की सारी प्रक्रिया निःशुल्क है। अगर किसी भी स्तर पर किन्हीं के द्वारा किसी भी प्रकार की शुल्क अथवा अवैध राशि की मांग की जाती है तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/जिला समाज कल्याण पदाधिकारी/सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा शाखा, गोड्डा/जिला प्रशासन को देंगे। इस प्रकार के अवैध कार्य में संलिप्त कर्मी/व्यक्ति के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

(हस्ताक्षर) 03/8/24

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,
गोड्डा।

ज्ञापांक 1389 /जि0स0क0, दिनांक 3/8/24

प्रतिलिपि :— जिला जन—सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उपरोक्त आम सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में करना सुनिश्चित करेंगे।

(हस्ताक्षर) 03/8/24.

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,
गोड्डा।